एप्पेलेट सिविल
माननीय न्यायालय एस. बी. कपूर और आर. एस. नरूला, जे. जे.

ब्रिज मोहन और अन्य,-अपीलार्थी

बनाम

मोहन लाल और अन्य, प्रत्यर्थी

14 नवंबर, 1968
1959 की नियमित पहली अपील संख्या 56

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का अधिनियम 5)-आदेश 41 नियम 1-के प्रावधान-क्या अनिवार्य है-डिक्री-शीट के बिना अपील-क्या दायर किया जा सकता है- ट्रायल कोर्ट अपीलार्थी के कुछ चूक के लिए डिक्री-शीट तैयार नहीं कर रहा है-अपीलार्थी डिक्री-शीट के बिना अपील दायर कर रहा है-ऐसी अपील-क्या सक्षम है।

अभिनिर्धारित है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 1 में यह अपेक्षा की गई है कि अपील के प्रत्येक ज्ञापन के साथ अपील की गई डिक्री की एक प्रति होनी चाहिए। यदि डिक्री-शीट तैयार की गई है, लेकिन इसकी प्रमाणित प्रति के लिए कोई आवेदन सीमा के भीतर नहीं किया गया है और डिक्री की अपेक्षित प्रति के बिना अपील दायर की जाती है, तो ऐसी अपील को अक्षम के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए। आदेश 41 नियम 1 की आवश्यकता अनिवार्य है और डिक्री की प्रति के अभाव में, अपील को भरना अधूरा, बचाव और अक्षम है। तथापि, अपील की अक्षमता के सामान्य नियम पर कुछ अपवाद बनाए गए हैं, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में वादियों को कठिनाई से बचने के लिए अपील की गई डिक्री की प्रमाणित प्रति के साथ नहीं है। जहां विचारण न्यायालय औपचारिक बृज मोहन आदि बनाम मोहन लाल आदि नहीं बनाता है। (नरूला, जे.) डिक्री और इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय द्वारा समय दिया गया है और अपीलार्थी डिक्री तैयार करने के लिए ट्रायल कोर्ट में जाता है, ट्रायल कोर्ट ऐसा करने में विफल रहता है, और हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट को डिक्री तैयार करने का आदेश नहीं देता है। हालाँकि, विचारण न्यायालय पर डिक्री न बनाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है जब अपीलार्थी अपने पक्ष में डिक्री राशि पर न्यायालय फीस का भुगतान नहीं करता है, जिसके भुगतान पर ही वह डिक्री-शीट तैयार करने का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय के लिए यह संभव नहीं है कि वह विचारण न्यायालय को डिक्री तैयार करने का निर्देश दे क्योंकि यह न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों के विपरीत होगा, जिसके लिए यथासंशोधित अपेक्षा की जाती है कि लेखाओं के लिए वाद में कोई डिक्री-पत्र तब तक तैयार नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय फीस में कमी पूरी न हो जाए। ऐसी परिस्थितियों में अपील डिक्री-शीट के बिना सक्षम नहीं है। (Paras 5 and 6)

श्री बलदर राज जी. टी. और लियनट, अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, सिरसा, दिनांक 27 जून, 1958 के न्यायालय के निर्णय से पहली अपील, 2 करोड़ रुपये के लिए एक डिक्री पारित करना। 8, 400, वादी के पक्ष में।

(1) 1959 का एम. 477-सी.-भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन आवेदन यह प्रार्थना करता है कि भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन समय बढ़ाया जाए और अपील को समय के भीतर माना जाए।

याचिकाकर्ताओं के लिए बी. के. झिंगन, एस. के. हिराजी और प्रकाश चंद जैन के साथ वकील, वकील।

उत्तरदाताओं के लिए आर. एस. मित्तल और एस. सी. सिबल, अधिवक्ता।

अदालत का फैसला

NARULA, J.—

1) यह आदेश 1950 की नियमित प्रथम अपील 56 और 1950 की सिविल विविध 477-सी का निपटारा करेगा। इस अपील और आवेदन के निपटारे के लिए प्रासंगिक तथ्य संक्षिप्त हैं और पहले इनका वर्णन किया जा सकता है।

2) दिल्ली की मेसर्स गणेश ट्रेडिंग कंपनी के तीन पार्ट टियर मोहन लाल, तारा चंद और कुंदन लाल ने 15 जनवरी, 1957 को उक्त साझेदारी को भंग करने और खातों को प्रस्तुत करने के लिए एक मुकदमा दायर किया। वाद के लंबित रहने के दौरान, पक्षकारों के वकील ने विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय के बयान दिए कि बाबू तुलसी राम के वकील को लेखा पुस्तिकाएं प्राप्त करनी चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए, पक्षकारों को सुनना चाहिए और फिर न्यायालय में उपस्थित होना चाहिए और पक्षकारों के शेयरों और उनमें से किसी एक से दूसरे को देय राशियों के बारे में एक बयान देना चाहिए, और यह कि वाद का निर्णय उसके द्वारा दिए गए बयान के अनुसार किया जा सकता है। बाबू तुलसी राम ने 27 जून, 1958 को उपर्युक्त मामलों पर एक बयान दिया और निचली अदालत उसी दिन उसके अनुसार फैसला सुनाने के लिए आगे बढ़ी। उक्त बयान के अनुसार रुपये के लिए एक डिक्री। वादी के पक्ष में 8,400 पारित किए गए थे, जिनमें से रु। 4, 040, गज नंद और राधा किशन प्रतिवादियों द्वारा देय थे। 3 और 4, और रु। 4, 360, का भुगतान बृज मोहन और शाम मुरारी बचाव पक्ष संख्या 1 और 2 द्वारा किया जाना था। इसके अलावा, रुपये के लिए एक डिक्री। 4, 570, बृज मोहन और शाम मुरारी प्रतिवादी संख्या के पक्ष में पारित किया गया था। 1 और 2 शिव प्रसाद और हनुमान दास प्रतिवादी संख्या 5 और 7 के खिलाफ। विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, सिरसा के निर्णय में। यह निर्देश दिया गया था कि डिक्री-शीट तैयार की जाएगी जब अदालत-शुल्क में कमी अच्छी हो जाती है, i.e., जब पार्टियां अदालत शुल्क के अपने-अपने शेयरों का भुगतान करेंगी। यह दोनों पक्षों का सामान्य मामला है कि वर्तमान अपील के भरे जाने तक किसी भी पक्ष द्वारा न्यायालय फीस में कमी की भरपाई नहीं की गई थी और यह कि निचली अदालत द्वारा अपने फैसले के अनुसरण में कोई डिक्री-शीट तैयार नहीं की गई थी। निचली अदालत के फैसले के उस हिस्से से संतुष्ट नहीं, जिसने रुपये के लिए एक डिक्री पारित करने का निर्देश दिया था। 4, 360, उनके विरुद्ध वादी के पक्ष में, बृज मोहन और शाम मुरारी प्रतिवादी संख्या, 1 और 2 उसी के विरुद्ध अपील करना चाहते थे। इसलिए उनके द्वारा 1 जुलाई, 1958 को निचली अदालत के फैसले की पुष्टि के लिए एक आवेदन किया गया था। प्रतिलिपि तैयार की गई और 3 जुलाई, 1958 को उन्हें प्रदान की गई। इसलिए फैसले की प्रति प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय केवल तीन दिन था। चूंकि निचली अदालत द्वारा पारित आदेश रुपये से अधिक का था। 5, 000, उसी के खिलाफ एक अपील इस न्यायालय में 28 सितंबर, 1958, i.e., 93 दिनों के भीतर 90 दिनों की सामान्य

अवधि को ध्यान में रखते हुए और प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवश्यक तीन दिनों के भीतर दायर की जा सकती थी। लेकिन यहां ऐसी कोई अपील दायर नहीं की गई थी। हालाँकि, अपीलार्थियों ने 30 जुलाई, 1958 को जिला न्यायाधीश, हिसार के न्यायालय में एक अपील दायर की। 8 दिसंबर, 1958 को जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा अपील को इस आधार पर वापस कर दिया गया कि यह केवल उच्च न्यायालय के लिए है। इसके बाद यह सीमा की अवधि की समाप्ति के 72 दिनों के बाद, 9 दिसंबर, 1958, i.e. पर उनके न्यायालय में फिर से दायर किया गया था। अपील के साथ सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत 1959 की सिविल विविध 477-सी भी थी, जिसमें यह कहा गया था कि उस समय तक निचली अदालत द्वारा डिक्री-शीट तैयार नहीं की गई थी, कि अपील जिला न्यायाधीश के न्यायालय में दायर की गई थी। हिसार, ईमानदारी से गलती के कारण क्योंकि अपील के मंच का प्रश्न संदेह से मुक्त नहीं था, और इस न्यायालय में अपील को प्राथमिकता देने में देरी जानबूझकर नहीं थी। उपर्युक्त आधार पर सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत इस न्यायालय में अपील दायर करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।

3) 10 दिसंबर, 1958 को इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा विभिन्न आपत्तियों के साथ अपील वापस कर दी गई थी, जिनमें से एक यह थी कि निचली अदालत की डिक्री-शीट की प्रति दायर नहीं की गई थी। अपील को 11 दिसंबर, 1958 को फिर से दायर किया गया था, जिसमें विवादग्रस्त मामले के बारे में कुछ भी कहे बिना किसी अन्य आपत्ति के संबंध में अनुपालन किए जाने के बारे में समर्थन किया गया था। रजिस्ट्री के दिनांक 11 दिसंबर, 19-8 के आदेश द्वारा अपील को फिर से वापस कर दिया गया था, क्योंकि अपीलार्थियों द्वारा कार्यालय द्वारा मूल रूप से उठाई गई शेष आपत्तियों का कोई जवाब नहीं दिया गया था। इसके बाद 15 जनवरी, 1959 को निम्नलिखित शब्दों में समर्थन के साथ अपील को फिर से दायर किया गया।'निचली अदालत द्वारा डिक्री शीट तैयार नहीं की गई है। इसलिए डिक्री शीट की कोई प्रति दाखिल नहीं की गई है।

   अपील के ज्ञापन को 17 जनवरी, 1959 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ फिर से लौटा दिया गयाः-"यदि कोई डिक्री-शीट तैयार नहीं की जाती है तो आदेश डिक्री के बराबर होता है, और इस तरह डिक्री-शीट के रूप में मुहर लगाई जानी चाहिए।"

   उपरोक्त निर्देश का अनुपालन निर्णय पर ही एक डिक्री-शीट पर देय अतिरिक्त अदालत-शुल्क का भुगतान करके किया गया था, और 17 फरवरी, 1959 को फिर से अपील दायर की गई थी। इसके बाद अपील मोशन बेंच (जी. डी. खोसला, जे.) 9 मार्च, 1959 को, सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन के साथ। अपील और आवेदन पर उस स्तर पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश निम्नलिखित प्रभाव के लिए थाः-"स्वीकृत D.B., सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन पुनः सीमा। रिकॉर्ड प्रिंट करें "।

   इसके बाद अपीलार्थियों ने विचारण न्यायालय में न्यायालय फीस का भुगतान करने के लिए या विद्वत अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय से डिक्री-शीट प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। न ही उन्होंने यह कहा कि उन्होंने डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन किया था।

4) जब यह अपील ऊपर वर्णित परिस्थितियों में आज सुनवाई के लिए पहुंची, तो वादी-प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील श्री आर. एस. मित्तल ने इस अपील की स्थिरता पर दो प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं। सबसे पहले उन्होंने तर्क दिया कि इस न्यायालय के समक्ष कोई उचित और सक्षम अपील नहीं है क्योंकि अपील केवल एक डिक्री के खिलाफ है और सिविल प्रक्रिया संहिता के

आदेश 41 नियम 1 के तहत अपील के ज्ञापन के साथ डिक्री की एक प्रमाणित प्रति होनी चाहिए। उनकी दूसरी आपत्ति इस प्रभाव पर है कि यदि हम अपील को सक्षम मानते हैं, तो इस न्यायालय में अपील दायर करने में देरी को माफ करने के लिए कोई वैध आधार नहीं है, और इसलिए हमें 1959 की सिविल विविध 477-सी को खारिज कर देना चाहिए, और परिणामस्वरूप अपील को समय द्वारा वर्जित के रूप में खारिज कर देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से कि हम विद्वान वकील द्वारा उठाई गई पहली आपत्ति को ले रहे हैं, दूसरी आपत्ति बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होती है और इसलिए, हमें बिल्कुल भी हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।

5) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 1 में कहा गया है कि अपील के प्रत्येक ज्ञापन के साथ अपील की गई डिक्री की एक प्रति होनी चाहिए। यह तय कानून है कि यदि कोई डिक्री-शीट तैयार की गई है, लेकिन इसकी प्रमाणित प्रति के लिए कोई आवेदन सीमा के भीतर नहीं किया गया है और डिक्री की अपेक्षित प्रति के बिना अपील दायर की गई है, तो ऐसी अपील को अक्षम के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए। तथापि, अपील की अक्षमता के सामान्य नियम पर कुछ अपवाद बनाए गए हैं, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में वादियों को कठिनाई से बचने के लिए अपील की गई डिक्री की प्रमाणित प्रति के साथ नहीं है। वादी-प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील श्री आर. एस. मित्तल ने फूलचंद और दूसरे बनाम गोपाल लाई, (1) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आदेश 41 नियम 1 की अपेक्षा अनिवार्य है और डिक्री की प्रति के अभाव में, अपील दाखिल करना अपूर्ण, दोषपूर्ण और अक्षम होगा। अभी भी ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ अपील सक्षम हो सकती है, भले ही डिक्री की एक प्रति अपील के ज्ञापन के साथ दायर नहीं की गई हो। जिस मामले में उच्चतम न्यायालय के उनके अध्यक्षों ने डिक्री की अपेक्षित प्रति के बिना अपील को सक्षम ठहराया था, वह मामला था जहां निचली अदालत ने एक औपचारिक डिक्री नहीं बनाई थी जब उसने शेयरों में बदलाव किया था और इस तथ्य के बावजूद कि उच्च न्यायालय द्वारा समय दिया गया था और अपीलार्थी ने एक नई डिक्री तैयार करने के लिए निचली अदालत का रुख किया था, निचली अदालत ऐसा करने में विफल रही थी, और उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को डिक्री तैयार करने का आदेश भी नहीं दिया था। इस तरह के मामले को एक असाधारण मामला माना गया था और अपील को ऐसे मामले में डिक्री के बिना बनाए रखने योग्य माना गया था। मान लीजिए कि वर्तमान मामला फूल चंद और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए चित्रण के दायरे में नहीं आता है (1). दूसरी ओर अपीलार्थियों के वकील ने जगत ढिश भार्गव बनाम जवाहर लाई भार्गव और अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय पर भरोसा किया है, (2). उनके सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्षों ने डिक्री की अपेक्षित प्रति के साथ दायर अपीलों के मामलों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया। पहली श्रेणी ऐसे मामलों की है जहां अपील करने के समय विचारण न्यायालय द्वारा एक डिक्री-शीट पहले ही तैयार की जा चुकी है, लेकिन अपीलार्थी ने सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर इसकी प्रति के लिए आवेदन नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उस स्थिति में, यह एक स्पष्ट मामला होगा जहां अपील अक्षम होगी और उसे खारिज करने का दंड उचित होगा। जगत ढिश भार्गव (उपर्युक्त) (2) के मामले में निर्दिष्ट मामलों का दूसरा वर्ग वह है जहां अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर वास्तव में विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री तैयार नहीं की गई है, लेकिन अपीलार्थी द्वारा समय के भीतर डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया गया था। ऐसे मामलों में,

यह अभिनिर्धारित किया गया था, अपील के खिलाफ केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह अपरिपक्व है क्योंकि एक डिक्री तैयार नहीं की गई थी, और यह वह डिक्री है जिसके खिलाफ अपील की जाती है। उनके लॉर्डशिप्स ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय का कार्यालय अपील की सावधानीपूर्वक जांच करता है और दोष का पता लगाता है, तो ऊपर निर्दिष्ट दूसरी श्रेणी में अपील को डिक्री की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करने के लिए अपीलार्थी को वापस किया जा सकता है। यह हमारे समक्ष पक्षों का सामान्य मामला है कि वर्तमान अपील उपर्युक्त दो श्रेणियों में से किसी में नहीं आती है। जबकि अपीलार्थी दावा करते हैं कि यह तीसरी श्रेणी में आता है, वादी-प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह पुरजोर तर्क दिया गया है कि यह भी उस श्रेणी में नहीं आता है। तीसरी श्रेणी ऐसे मामलों की है जो जगत ढिश भार्गव के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष था, (2) जहां अपील "कार्यालय के निरीक्षण के माध्यम से" प्रवेश के चरण से गुजर चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामलों में, अपनाने के लिए एकमात्र निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीका यह होगा कि अपील की सुनवाई को इस निर्देश के साथ स्थगित कर दिया जाए कि अपीलार्थी को डिक्री की प्रमाणित प्रति जैसे ही उसे प्रदान की जाए, उसे प्रस्तुत करना चाहिए। उनके लॉर्डशिप्स ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह अधीनस्थ न्यायालय को बिना किसी देरी के तुरंत डिक्री तैयार करने का निर्देश दे। उच्चतम न्यायालय ने अभी भी ऐसे मामलों के एक अन्य वर्ग पर विचार किया है जिनसे हम इस अपील में सहमत नहीं हैं। यह उन फरमानों के विरुद्ध अपीलों से संबंधित है जो तैयार किए गए हैं और जिसकी एक प्रति के लिए डिक्री तैयार किए जाने के बाद अपीलार्थी द्वारा एक आवेदन किया गया है और अपील को अपीलीय न्यायालय के कार्यालय द्वारा दोषपूर्ण होने के रूप में वापस कर दिया गया है। उनके लॉर्डशिप्स ने पाया कि ऐसे मामले में जब अपीलार्थी द्वारा डिक्री दायर की जाती है, तो सीमा के प्रश्न की योग्यता के आधार पर जांच की जा सकती है।

6) जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अपीलार्थियों के विद्वत वकील श्री बी. के. झिगन ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निर्दिष्ट तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसलिए हमें निचली अदालत को अपेक्षित डिक्री तैयार करने का निर्देश देना चाहिए और इस बीच अपीलार्थियों द्वारा अपेक्षित प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने के बाद अपील को पूरा करने के लिए स्थगित कर देना चाहिए। हमें खेद है कि हम इस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। जगत ढिश भार्गव (2) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निर्दिष्ट अपीलों की तीसरी श्रेणी के भीतर इस मामले को लाने के लिए पूर्ववर्ती दो शर्तें वर्तमान मामले में पूरी तरह से वांछित हैं। वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा दावा की गई राहत के लिए एक चूक करने वाले अपीलार्थी को हकदार बनाने के लिए, सबसे पहले यह आवश्यक है कि निचली अदालत द्वारा डिक्री-शीट का गैर-निर्माण अपीलार्थी की गलती के कारण नहीं होना चाहिए। निचली अदालत पर डिक्री तैयार नहीं करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, जब इसमें अपीलकर्ताओं ने अपने पक्ष में निर्धारित राशि पर अदालत की फीस का भुगतान नहीं किया था, जिसके भुगतान पर ही वे डिक्री-शीट तैयार करने का दावा कर सकते थे। इस स्थिति में संभवतः हमसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि हम विचारण न्यायालय को एक डिक्री तैयार करने का निर्देश दें क्योंकि यह न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों के विपरीत होगा, जिसके लिए यथासंशोधित अपेक्षा की जाती है कि लेखाओं के लिए वाद में कोई डिक्री-पत्रक तब तक तैयार नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय फीस में कमी पूरी न हो जाए। दूसरा, वर्तमान मामले में अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया अनुग्रह गलत है क्योंकि उन्होंने अब भी यह नहीं कहा है कि उन्होंने कभी डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए

आवेदन किया था और अपीलार्थियों का ऐसा कोई भी आवेदन अभी भी लंबित है। चूंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निर्दिष्ट अपीलों की तीसरी श्रेणी में मामले को रखने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों में से दो शर्तें वर्तमान मामले में पूरी तरह से अनुपस्थित हैं, और अपील को कार्यालय के किसी निरीक्षण के कारण दोष को नोटिस किए बिना स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन दोष उन अपीलार्थियों के लिए इंगित किया गया था जिन्होंने डिक्री-शीट तैयार किए बिना अपील को प्राथमिकता देने पर जोर दिया था, और सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन अपील को स्वीकार करने के बाद व्यावहारिक रूप से नौ साल तक घर पर बैठे रहे हैं, इस तरह के मामले में अपीलार्थियों को किसी भी प्रकार की संलिप्तता की अनुमति देने के लिए, हमारी राय में, कानून द्वारा उस पर आरोपित वादी के कर्तव्यों की उपेक्षा पर प्रीमियम लगाने के बराबर होगा, और आदेश 41, संहिता के नियम 1 के अनिवार्य प्रावधानों के लिए पूरी तरह से अवहेलना दिखाने पर। इसलिए हम श्री मित्तल द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को बरकरार रखते हैं और मानते हैं कि हमारे समक्ष कोई सक्षम अपील नहीं है। इस तरह की अपील दायर करने में देरी या समय बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। अपीलार्थियों के वकील ने स्वयं स्वीकार किया कि 1959 का सिविल विविध 477-सी कुछ गलतफहमी के कारण दायर किया गया था, और ऊपर वर्णित परिस्थितियों में निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है। इसलिए 1959 का सिविल विविध 477-सी खारिज कर दिया गया है।

7) जहाँ तक 1959 की नियमित प्रथम अपील 56 का संबंध है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह केवल एक अपील है जिसे खारिज किया जा सकता है न कि एक कथित अपील। चूँकि हमने अभिनिर्धारित किया है कि अपील अधूरी और अक्षम है, हम केवल उसे अस्वीकार कर सकते हैं। यदि और जब अपीलार्थी आवश्यक और अपेक्षित कदम उठाने के बाद विचारण न्यायालय की डिक्री-शीट तैयार करते हैं, और फिर सक्षम न्यायालय में अपील करने का विकल्प चुनते हैं, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो ऐसी अपील दायर करने के लिए सीमा के प्रश्न पर गौर किया जाएगा और गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

8) पूर्वगामी कारणों के लिए हम 1959 के सिविल विविध 477-C को खारिज करते हैं, और R.F.A की अपील के ज्ञापन को अस्वीकार करते हैं। 1959 का 56, और यह निदेश देता है कि प्रतिवादी अपीलार्थियों द्वारा उक्त अपील के ज्ञापन पर संदत्त न्यायालय फीस उन्हें विधि के अनुसार वापस की जाएगी। मामले की परिस्थितियों में, समकक्षों को इस न्यायालय में पूरी कार्यवाही का अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

एस. बी. कैपोर, जे. -मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण :स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सूर्य करण चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कहरखोदा (सोनीपत) हरियाणा